राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर

विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की तैरहवी बैठक
(दिनांक 13 जून, 2014)
का

कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल की तैरहवी बैठक दिनांक 13 जून, 2014 को माननीय कुलपति प्रो. ए.के गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूचि संलग्नक–1 पर है।

एजेंडा सं.	प्रस्ताव एवं निर्णय
13/ए	**विश्वविद्यालय द्वारा अब तक की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण मौखिक रूप से माननीय कुलपति द्वारा सदन में पेश।**
	माननीय कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों व आगंतुकों का स्वागत करते हुये बोर्ड की पिछली बैठक के पश्चात् विश्वविद्यालय की प्रगति के बारे में सभी सदस्यों को अवगत करवाया। बैठक के शुभारम्भ में माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय की प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक व अनुसंधान की गतिविधियों से अवगत करवाते हुए बताया कि विकास की गति की बनाये रखने के लिए यह विश्वविद्यालय कई प्रकार के नवाचार लागू करने जा रहा है। इसके अन्तर्गत राज्य की धरोहर देशी गौवंश के विकास और संवर्द्धन के लिए फार्मो एवं गौशालाओं को धरोहर जीन बैंक के रूप में विकसित किया जायेगा। पूरे राज्य में इसको विस्तार देने के लिए गौशालाओं से सहयोग लिया जायेगा। साथ ही शीघ्र ही कॉपरपोरेट प्रकोष्ठ का गठन करके विश्वविद्यालय की प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक व अनुसंधान की गतिविधियों को नए आयाम दिये जायेगें। कुलपति गहलोत ने प्रबंध मंडल के सदस्यों के समक्ष वित्तीय संसाधनों की स्थिति और भविष्य की जरूरतों का आंकलन प्रस्तुत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय अपने वित्तीय संसाधनों से ही पेंशन आदि का भुगतान करेगा। इसके लिए राजकीय सहायता की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि गत 4 वर्षों में स्थानीय संसाधनों के बूते आय में चार गुना अभिवृद्धि हुई है। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए सन् 2051 तक का रोडमेप तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसने उत्तर पुस्तिकाओं की ऑन स्क्रीन जांच का कार्य शुरू किया है। इससे परिणाम शीघ्र मिलेंगे और जांच कार्य का दायरा बढेगा। कुलपति प्रो. ए.के. गहलोत ने आय क्षमता के सवर्द्धन हेतु विश्वविद्यालय के प्रयास तथा आन लाइन उत्तर पुस्तिकाओ के जांच प्रक्रिया की सदन के सदस्यों को प्रेजेन्टेशन के माध्यम से जानकारी प्रदान की। माननीय कुलपति ने बताया कि वेटरनरी विश्वविद्यालय ने अल्प अवधि में देश में विशिष्ट स्थान बनाया है तथा यह

	विश्वविद्यालय कॉरपोरेट संस्थानों की तर्ज पर कार्य कर उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा हैं।शीघ्र ही चित्तौड़गढ़ जिले में भी पशुधन अनुसंधान केन्द्र खोलने की योजना हैं। कुलपति ने बताया कि जयपुर स्थित स्नात्तकोत्तर पशुचिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान को उच्च शिक्षा के लिए "सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस" बनाने की योजना हैं। उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि स्नातकोतर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जयपुर तथा पशु बॉयो चिकित्सकीय उत्पाद कचरा निस्तारण तकनीक केन्द्र के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 95 नवीन पदों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। गौरतलब है कि इस संस्थान में तीन विषयो में स्नातकोत्तर पशुचिकित्सा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है तथा इन पदों पर भर्ती के बाद पशुचिकित्सा के अन्य विषयों में भी स्नातकोत्तर शिक्षा प्रारम्भ कर दी जायेगी। माननीय कुलपति महोदय के उक्त उद्बोधन के पश्चात् बैठक की नियमित कार्यवाही प्रारंभ की गई।
13/बी	**प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 30.06.2013 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन ।**
निर्णय	प्रबंध मंडल की दिनांक 30 जून, 2013 की बैठक के कार्यवाही विवरण का सदन द्वारा अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।
13/सी	प्रबंध मंडल की गत बैठक दिनांक 13.09.2013 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन
निर्णय	प्रबंध मंडल की दिनांक 13 सितम्बर, 2013 की बैठक के कार्यवाही विवरण का सदन द्वारा अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।
13/डी	**प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 30.06.2013 की कार्यवाही की पालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अनुमोदन ।**
निर्णय	प्रबंध मंडल के सदस्यों ने दिनांक 30 जून, 2013 की कार्यवाही की पालना रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया एवं माननीय कुलपति के समय पर की गई कार्यवाही की प्रशंसा की।
13/ई	प्रबंध मंडल की गत बैठक दिनांक 13.09.2013 की कार्यवाही पालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अनुमोदन ।
निर्णय	प्रबंध मंडल के सदस्यों ने दिनांक 13 सितम्बर, 2013 की कार्यवाही की पालना रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया एवं माननीय कुलपति के समय पर की गई कार्यवाही की प्रशंसा की।
13/एफ	विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन ।
निर्णय	सदन में प्रस्तुत विश्वविद्यालय के विभिन्न आदेशों का माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया। (पृष्ठ 40–216 एवं 242–254)
13/जी	**To report the Government permission letter No.F.2 (36)Pasu Palan/ 2012 dated 19.08.2013 pertaining to convey Administrative & Financial Sanctioned for creation new posts 95 for the Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner under the Plan 2013-14**

	माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ राज्य सरकार द्वारा जारी 95 नवीन पदों की स्वीकृति दिनांक 19.8.2014 को सदन पटल पर प्रस्तुत किया गया। उपस्थित सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय के इस प्रयास की सराहना की गई एवं उक्त पदों के सृजन का अनुमोदन किया।
13 / एच	अन्य कोई एजेंडा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से
13/H-1	To approve Minutes of the High Power Committee meeting held on 10.04.2014.
निर्णय	माननीय सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत उच्चाधिकार समिति की दिनांक 10.4.2014 की कार्यवाही विवरण पर सहमति जताते हुए प्रकरण सं. 1 से 3 में समिति की सिफारिशों पर सहमति प्रदान करते हुए तद्नुसार कार्यवाही करने का अनुमोदन किया।
13/I	**To consider granting permission to extend affiliation to Private Veterinary Colleges and Animal Husbandry Diploma Institutes for the Academic Session 2014-2015.**
निर्णय	सदन द्वारा निम्नलिखित अनुमोदन पारित किया गया – "Looking to the exigency of the circumstances, a special provisional permission to extend affiliation to Private Veterinary Colleges/AHDP Institutes for the academic session 2014-15 is granted to the University on the recommendations of the Inspection Teams, subsequently, approved by the Academic Council and fulfillment of conditions like payment of affiliation fees etc. by the respective Institute. **The matter be reported in the next meeting of Board of Management.**"
13/J	**To consider request of the employees of RAJUVAS for granting relaxation (i) in the manner of appointment, (ii) qualifications prescribed for the post of Dy. Registrar & equivalent and Asstt. Registrar & equivalent.**
निर्णय	The House considered the request of the employees of RAJUVAS for granting relexation – (i) In the manner of appointment, and (ii) Qualifications prescribed for the post of Dy. Registrar and equivalent and Assistant Registrar and equivalent for persons already working as Assistant Registrar and Section Officer or equivalent, respectively in RAJUVAS.

	The House considered the request and was of the opinion that as far as the matter of manner of appointment is concerned, since the appointment on the posts of university officers as Assistant Registrar and above are governed by the Rajasthan Universities Teachers and Officers Appointment Act, 1974, the House is not in a position to consider the request. So far as, the request No. (ii) is concerned, the house approved it.
13/K	**To consider transfer of Fund from UDF to RAJUVAS Endowment Fund.**
निर्णय	माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
13/L	**With reference to Agenda No. 11/K of the last meeting of the Board of Management held on 30.06.2013 to consider granting sanction for payment of Arrears to the employees those were granted Selection Pay Scales on rendering 9, 18 & 27 years of service by the Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences.**
निर्णय	माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए तद्नुसार कार्यवाही करने की सहमति की प्रदान की।
13/M	नये द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों की निरीक्षण रिपोर्ट पर उन्हें सत्र 2014–15 के लिये संबद्धता बाबत।
निर्णय	माननीय सदस्यों द्वारा द्वि–वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित तीन निम्नांकित नये संस्थानों की निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन कर सत्र 2014–15 के लिए सम्बद्धता प्रदान करने का अनुमोदन किया – 1. स्वामी सोमानाथ जी एल.एस.ए. कॉलेज, हनुमानगढ़ 2. जमादार एनीमल हजबेन्डरी डिप्लोमा कॉलेज, खेरडा बुजूर्ग, तहसील मेहवा, जिला दौसा 3. डायमंड इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साईन्स, फलौदी
13/N	**To consider allowing revised emoluments to retired employees of ministerial cadre on the basis of revised Grade Pay allowed by the Government of Rajasthan (retired prior to 01.07.2013) and engaged**

	of Associate Professor and Assistant Professor as per list appended, in compliance with the interim orders dated 14.03.2014 passed by Hon'ble High Court, Jodhpur in S.B.C. Writ Petition No. 1852/2014 (copy enclosed).
निर्णय	The Chairman informed the House about the whole selection process conducted by the University in which finally interviews were held from 17th Feb. to 5th March, 2014 for selections of teachers for the posts of Associate Professors and Assistant Professors. The House appreciated the meticulous and transparent method of selection using on-line application also. The House also appreciated the process of scrutiny and score-card system developed by the University. The House permitted opening of all the sealed envelopes (main as well as reserve panel) containing the recommendations of various Selection Committee meetings held during the period mentioned above and APPROVED SELECTIONS MADE IN THIS PHASE. The House was also informed about interim orders passed by the Hon'ble High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur in SBC Writ Petition No. 1852/2014 dated 14th March, 2014. Implications of the orders were discussed and the University was advised to carefully obey the orders of the Hon'ble Court in letter and spirit. The House further advised the University that since the orders clearly indicate that no appointment orders be issued to the candidate(s) passed from the private veterinary college(s) till further orders, it is essential that such posts which may likely to be held by above mentioned type of incumbent(s), be not filled. The House further felt that there may be such candidates in the reserve panel also, therefore, authorized the University to open reserve panel also so that selected candidates (barring candidates falling under Hon'ble Court order) may be provided appointment in case vacant posts are

	House further advised the University to initiate the process of re-advertisement of vacant posts soon. The House also felt concern about acute shortage of availability of human resource as out of 104 posts of Associate Professors and Professors, only 10 persons could be selected. The House was surprised on the fact that even for the posts of Assistant Professors availability of candidates was less in certain disciplines and categories. It was opinion of the Hon'ble Members of the House that University should come out with an analytical picture of the situation in due course and may disseminate it to the State as well as Central authorities for appraising shortage of human resource in veterinary and animal science.
13/P	**To consider deciding certain terms & conditions of such Teaching faculty likely to be recruited who are presently working in State/Central Government/ PSU/Board/Universities etc.**
निर्णय	सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
13/Q-1	**Congratulations and Best Wishes to new Government at the State and Centre as well as to Dr. Sanjiv Balian, Minister of State for Agriculture, Government of India.**
निर्णय	माननीय सदस्यों द्वारा राज्य एवं केन्द्र में नई सरकार एवं डॉ. संजीव बलेन, माननीय कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इस बाबत् प्रबंध मंडल के सभी सदस्यों की भावनाओं को माननीय कुलपति महोदय की ओर से एक पत्र द्वारा प्रेषित करने के लिए अधिकृत किया गया।
13/Q-2	**Approval of On-screen Evaluation and Advance Examination Management System (OSES) – its purchase from I.T.I. Ltd. (Government of India Enterprise) and Application for all University level examinations.**
निर्णय	माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल के सदस्यों को On-screen Evaluation and Advance Examination Management System (OSES) – its purchase from I.T.I. Ltd. (Government of India Enterprise) and Application for all University level examinations के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा प्रणाली में उपयोग में लिए गये इन नवाचारें के लिए माननीय कुलपति महोदय के प्रयासों की प्रशंषा की गई। साथ ही इन नवाचारों के उपयोग में लेने से न्यूनतम समय पर परीक्षा परिणाम जारी करने पर माननीय कुलपति महोदय की बधाईयां दी गई और आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय इस गति की बनाये रखेगा। सदन द्वारा OSES एवं उक्त एप्लीकेशन I.T.I. Ltd. (Government of India Enterprise) के क्रय करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

13/Q-3	**Approval of bearing pension and retiral benefit liabilities through RAJUVAS Endowment Fund (REF) by deposition of unspent income into this fund and utilization of fund accrued with the University for retiral benefits.**
निर्णय	माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को एक प्रेजन्टेशन के माध्यम से विश्वविद्यालय की स्वयं की आय में वृद्वि करने संबंधी स्टेप्स से रू–बरू किया गया जिसमें वर्ष 2050 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेशन एवं अन्य परिलाभों की दायित्व की गणना एवं विश्वविद्यालय की आय के स्रोतों में वृद्धि कर इनका भुगतान अपने ही स्तर से करने का विस्तृत विवरण ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया गया। माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि विश्वविद्यालय की अनेक परियोजनाओं एवं इकाइयों से होने वाली आय का सदुपयोग सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन आदि का भुगतान करने में किया जा सकेगा। इसके परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय को पेंशन एवं इससे संबंधित परिलाभों का भुगतान करने में राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। माननीय सदस्यों को यह भी बताया गया कि इस आशय का एक पत्र राज्य सरकार को प्रेषित भी कर दिया गया है। माननीय सदस्यों द्वारा कुलपति महोदय के वित्त प्रबंधन प्रयास की प्रशंषा करते हुए राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने में इसे एक सार्थक प्रयास बताया। सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
13/Q-4	**Initiation of University's own programe and approval of creation of tenueral/contractual positions for specific purposes and time bound to be financed through REF.**
निर्णय	सदन द्वारा इस बाबत गठित किये जाने वाले सभी प्रकोष्ठों का अनुमोदन किया गया।
13/Q-5	**Encouragement of hard-working and meritorious students through University Fellowship/ Scholarship.**
निर्णय	माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा सुझाया गया कि अतिशीघ्र इससे संबंधित नियमों आदि को मूर्त रूप देकर छात्र हित में इसे लागू किया जाय।
13/Q-6	**Enhancement of internship stipend and PG stipend by request Government of Rajasthan.**
निर्णय	माननीय सदस्यों द्वारा छात्रों के स्टाइपेन्ड में वृद्धि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं माननीय सदस्यों द्वारा कुलपति महोदय से आग्रह किया गया कि सदन की भावनाओं को समाहित करते हुए राज्य सरकार को एक और पत्र स्टाईपेन्ड को अन्य समकक्ष सट्रीम के बराबर किये जाने का अनुरोध किया जावे।

13/Q-7	**Follow-up actions in light of reference from H.E. the Chancellor of this University thorugh the 'Note' submitted by Dr. Rajkumar of Banaras Hindu University.**
निर्णय	माननीय कुलपति महोदय ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के डॉ. राजकुमार द्वारा महामहिम कुलाधिपति महोदया को प्रस्तुत विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक रोड मेप के संबंध में विस्तृत विवरण देते हुए राजूवास विश्वविद्यालय के लिए उक्त रोड मेप लागू करने संबंधी प्रयासों से अवगत करवाया।
13/Q-8	**Reporting of F.I.R. No. 21/2014 against the University officers and employees.**
निर्णय	माननीय सदस्यों को कुलसचिव महोदय द्वारा कुलपति सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध दायर एफ.आई.आर. सं. 21/2014 दिनांक 23.1.2014 से अवगत करवाया गया। सदन ने इस बाबत् चिन्ता व्यक्त की कि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 56 में "कृत्यों की विधि मान्यता एवं सरंक्षण" के अन्तर्गत इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में विश्वविद्वालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी" का प्रावधान है। माननीय सदस्यों द्वारा उपरोक्त एफ.आई.आर. कि विषयवस्तु पर विचार-विमर्श किया गया जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि जांच में विश्वविद्यालय के कृत्यों एवं कर्त्तव्यों के सद्भावनापूर्वक निर्वहन करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा जो निर्णय लिये गये, में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 एवं वीसीआई द्वारा जारी रेग्यूलेशन, 2008 का उल्लंघन होना प्रतिपादित किया गया है। उक्त एफ.आई.आर. में विशेष रूप से जारी निम्नलिखित आदेशों को नियम विरूद्ध होने का आरोप लगाया गया है– 1. छात्रा निहारिका सक्सेना का माईग्रेशन आदेश सं. 129 दिनांक 14.1.2011 जो स्वयं में सेल्फ-स्पीकिंग है एवं किन परिस्थितियों में जारी किया गया, उनका उल्लेख किया गया है। 2. छात्र अरनव मल्होत्रा का माईग्रेशन आदेश सं. 76 दिनांक 14.12.2010 को केवल इसलिए नियम विरूद्ध और अवैध ठहराया गया क्योंकि इसकी प्रति वीसीआई को सूचनार्थ नहीं भेजी गई। यहां ऐसा प्रतीत होता है कि यह छात्र जो कि वीसीआई रेग्यूलेशन, 1993 के अन्तर्गत अध्ययन कर रहा था, के माईग्रेशन से संबंधित नियमों को संदर्भित ही नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वीसीआई रेग्यूलेशन, 1993 व 2008 में प्रयुक्त शब्द 'may' और 'should' जो कि वीसीआई को सूचित करने बाबत् लिखे गये है उनकी गलत व्याख्या कर इसे "अनिवार्य" मान लिया गया है। इस तथ्य की भी अनदेखी की जा रही है कि वीसीआई ने हाल ही में देश के सभी वेटरनरी कॉलेजों से पिछले 5 सालों में किये गये माईग्रेशन की सूचना मांगी है (पत्र क्रमांक 3225-57 दिनांक 14.11.

	2013) जो स्वयं यह सिद्ध करता है कि यह सूचना वीसीआई को भेजना जरूरी ही नहीं है। 3. सुश्री प्रियंका का माईग्रेशन का लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, हिसार ने ही स्वीकृत किया था जिसमें इस विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 3.5.2012, प्रमाण पत्र 2.7.2012 एवं 4.7.2012 सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के अन्तर्गत ही जारी किये गये है जो कि किसी भी छात्र को उसकी मांग पर या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा चाहे जाने पर जारी किये जाते है। सद्भावनापूर्वक किया गया यह कार्य है। माननीय सदस्यों ने इस संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर असंतोष एवं चिंता व्यक्त की है क्योंकि इस प्रकार के कार्यों से विश्वविद्यालय की साख में गिरावट आती है तथा विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी हतोत्साहित होते है। ऐसे उदाहरणों से विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित में सद्भावनापूर्वक किये जाने वाले कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं समाज में गलत संदेश प्रसारिता होता है। सदन ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि उक्त तीनों प्रकरणों में माईग्रेशन को निरस्त करने में माननीय न्यायालयों द्वारा स्थगन प्राप्त किया हुआ है तथा तद्नुसार तीनों प्रकरण अभी माननीय न्यायालयों के समक्ष न्याय निर्णयन (adjudication) हेतु विचाराधीन (subjudice) हैं फिर भी इन प्रकरणों को ए.सी. बी. द्वारा पुलिस कार्यवाही में प्रश्नगत किया जा रहा है जबकि इन मामलों का माननीय न्यायालयों द्वारा न्यायिक विवेचन बाकी है। सदन ने सद्भावनापूर्वक किये गये उपरोक्त ओदशों एवं प्रमाण पत्रों का अनुमोदन किया तथा आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की उपरोक्त धारा 56 में प्रदत्त विधि मान्यता एवं सरंक्षण का लाभ विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिलेगा।
13/Q-9	**Approval of the request of Sh. Manak Chand Surana, MLA, Bikaner regarding opening of a service centre of University at Lunkaransar.**
निर्णय	माननीय सदस्यों द्वारा लूणकरनसर के विधायक महोदय द्वारा विश्वविद्यालय का एक सेवा केन्द्र खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव में उक्त सेवा केन्द्र के लिए भवन आदि उनके स्तर से ही उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को सराहा गया।
13/Q-10	**Creation of internal environment assessment committee of experts for enhancing quality of services and functioning of various units of the University.**
निर्णय	विश्वविद्यालय की आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित कमेटी के गठन का अनुमोदन माननीय सदस्यों द्वारा किया गया।
13/Q-11	**Approval of the draft of Annual Report 2012-13 of RAJUVAS**

निर्णय	माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 की ड्राफ्ट प्रति का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।
13/Q-12	**Equivalence of qualification of certain services to be obtained through service provider.**
निर्णय	कुलसचिव महोदय के सर्विस प्रवाईडर के माध्यम से अन्य समकक्ष सेवाओं की उपलब्धता की आवश्कता के प्रस्ताव का अवलोकन कर माननीय सदस्यों द्वारा यह अनुमोदन किया गया कि इस बाबत् विश्वविद्यालय स्तर पर निम्न अधिकारियों की कमेटी का गठन कर equivalence तय किया जाये – 1. कुलसचिव 2. वित्त नियंत्रक 3. चैयरमेन फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स
13/Q-13	**Approval of charging interest @ 0.6% per month as prescribed under Govt. of India/ICAR rules in case of settlement of the case of pension of Prof. K.M.L. Pathak, DDG, Animal Science, who retired as Professor from RAJUVAS.**
निर्णय	सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
13/Q-14	**Implementing the concept of Heritige Gene Bank particulary with respect to indigenous cattle.**
निर्णय	माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
13/Q-15	**Creating of revolving fund for in-house production of cattle feed mineral mixture required for the animals of RAJUVAS.**
निर्णय	माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आवश्यक चर्चा कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
13/Q-16	**Conservation of heritage buildings of RAJUVAS- matter to be taken up with the State Government.**
निर्णय	माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं कुलपति महोदय को इस आशय का पत्र राज्य सरकार को लिखने हेतु अधिकृत किया गया।
13/Q-17	**वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिए चार्डर्ड एकाउंटेंट का पारिश्रमिक निर्धारित करने बाबत।**
निर्णय	सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
13/Q-18	**Placed below is a letter dated 23rd May, 2014 of the VCI regarding information under Right to Information Act, 2005 and circulated widely on face book and whatsapp as well as letter dated 2nd June, 2014 of the ACS, Department of Animal Husbandry, GOR, addressed to the Secretary, DAHDF, Govt. of India.**

निर्णय	The House took very seriously the letter of VCI dated 23rd May, 2014 which was floated by unscrupulous persons on facebook as well as Whatsapp. The House also took it very seriously the following lines of the letter : "xxxx has been decided to be placed before the next Executive Committee and Council's meeting together with the matter of withdrawal of recognition of qualification of RAJUVAS, Bikaner as decided earlier by the Council". The House felt surprise that the University has never been informed that such a matter is under consideration of the Council and the University has never been asked to show cause in this regard also. The Hon'ble member of the House, nominated by the VCI itself also shown ignorance of any such move or discussion held in the meeting of the Council regarding withdrawal of recognition of qualification of RAJUAS. He also assured to raise this matter before the VCI. The members of the House expressed that the letter is not only violation of the provisions of the RTI Act under which no futuristic and imaginary narration can be made, but also reflects pre-judice of the Council towards this University. The House advised the Hon'ble Vice-Chancellor to take up the matter with the Council, Central Government as well as State Government. It was also advised that the Registrar should officially demand a copy of this letter from the Council so that its validity can be ascertained. The House appreciated the stand of the State Government as expressed through the letter of the ACS, Department of Animal Husbandry, GOR dated 2nd June, 2014. The House expressed serious concern about the fact that the University has been requesting since last two academic sessions for conduction of inspection by the VCI in the absence of which the Govt. of Rajasthan has to issue the directives to the University to admit the students in the interest of the youth of the state and larger interest of the State. The House advised the University to continue admission at the College of Veterinary and Animal Sciences, Navania, Vallabhnagar, Udaipur as the Govt. of Rajasthan has provided substantial funds as well as sanctioned all the teaching posts of this collge which has by now developed huge infrastructural facilities. The House expressed gratitude to ACS, Department of AH, GOR for taking up the matter with the Central Government.

The meeting ended with thanks to the Chair.

Rakesh Rao 13/6/14

(Rakesh Rao)
REGISTRAR

No. F.(2)/RAJUVAS/मिनिट/BOM-11/2014/ 233 Dated: 13-06-2014

Copy for information and necessary action to:

1. PS to Vice-Chancellor, RAJUVAS, Bikaner for kind perusal of the Hon'ble Vice-Chancellor.
2. All Hon'ble members of Board of Management, RAJUVAS, Bikaner.
3. All Deans/Directors/University Officer, RAJUVAS, Bikaner.

13/6/14

REGISTRAR

Annexure-1

1.	Dr. A.K. Gahlot	**In Chair**
2.	Sh. Nathu Ram, Addl. Commissioner- Nominee of Comissioner	Member
3.	Dr. N.V. Patil, N.R.C. on Camel, Jorbeer, Bikaner	Member
4.	Dr. J.S. Bhatia, Retd., ADG, Animal Science, ICAR	Member
5.	Dr. Ravinder Kumar, V.C.I. Nominee	Member
6.	Dr. B.K. Beniwal, Dean, CVAS, Bikaner	Member
7.	Dr. R.S. Tomar – Nominee, MD, RCDF, Jaipur	Member
8.	Dr. L.N. Sachdeva, Dy.Director, AH- Nominee of Director, AH, GOR	Member
9.	Dr. Tribhuwan Sharma, Director, P.M.E.	Member
10.	Dr. C.K. Murdia, Director, Extension Education	Invitee
11.	Sh. Y.K. Singh, Comptroller	Invitee
12.	Dr. R.N. Kachhawah, Dean, Student Welfare	Invitee
13.	Dr. T.K. Gahlot, Director-Clinics	Invitee
14.	Dr. Vishnu Sharma, Dean, PGIVER, Jaipur	Invitee
15.	Dr. G.S. Manohar, Dean, PGS	Invitee
16.	Dr. S.S. Soni, C.O.E.	Invitee
17.	Sh. Basant Kumar Acharya, Director Works	Invitee
18.	Dr. Anil Kumar, O.S.D.	Invitee
19.	Dr. Rakesh Rao, Registrar	Member Secretary

Rakesh Rao 13/6/14